**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.11.2024**

**थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा चैन व मोबाइल फोन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त व स्नैचिंग का माल खरीदने वाला 01 सुनार की गिरफ्तार, कब्जे से स्नैचिंग से सम्बन्धित 01 चैन पीली धातु, स्नैचिंग किये गये माल को बेचने से प्राप्त कुल 32,900/-रु0 तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।**

दिनांक 18.11.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त/चेकिंग के दौरान दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में चैन व मोबाइल फोन स्नैचिंग की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त 1. बलराम पुत्र स्व0 भगवत किशोर उम्र 42 वर्ष निवासी बी 4/272 नन्द नगरी दिल्ली 93 व 2. शशि पुत्र भूप सिंह निवासी ए 2/491 नन्द नगरी दिल्ली उम्र 40 वर्ष। तथा स्नैचिंग का माल खरीदने वाला 01 सुनार रवि सोनी पुत्र अजय सोनी निवासी निकट बालाजी मंदिर चमन बिहार थाना अंकुर विहार गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष को 5/6 की पुलिया वैशाली से स्नैचिंग से सम्बन्धित 01 चैन पीली धातु, स्नैचिंग किये गये माल को बेचने से प्राप्त कुल 32,900/-रु0 तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण**

गिरफ्तार अभियुक्त बलराम पुत्र स्व0 भगवत किशोर व शशि पुत्र भूप सिंह उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि हम दोनों व्यक्ति वाहन बदल-बदल कर गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में राह चलती महिला/व्यक्तिये से उनके चैन/मोबाइल फोन की स्नैचिंग की घटना कारित करते है। हम लोगों ने इन्दिरापुरम क्षेत्र में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया है। जिस कारण हम लोग पुलिस चेकिंग को देखकर मोटर साइकिल मोड़कर भागने का प्रयास कर रहे थे। दोनों अभियुक्तों द्वारा स्नैचिंग के सामान को हम लोग सुनार रवि सोनी जोकि चमन विहार लोनी में रहता है। जिसकी दुकान दिल्ली में है को सस्ते दामों में बेचकर प्राप्त पैसो को बांट लेते थे। ये सभी लोग आज पूर्व में स्नैचिंग किये गये सामान को बेचकर अपने पैसो के लेन-देन हेतु एक दुसरे से मिलने जा रहे थे।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता**

1. बलराम पुत्र स्व0 भगवत किशोर 42 वर्ष निवासी बी 4/272 नन्द नगरी दिल्ली 93 उम्र
2. शशि पुत्र भूप सिंह निवासी ए 2/491 नन्द नगरी दिल्ली उम्र 40 वर्ष।
3. रवि सोनी पुत्र अजय सोनी निवासी निकट बालाजी मंदिर चमन बिहार थाना अंकुर बिहार गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण**

स्नैचिंग से सम्बन्धित 01 चैन पीली धातु, स्नैचिंग किये गये माल को बेचने से प्राप्त कुल 32,900/-रु0 तथा घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण आपराधिक इतिहास**

- गिरफ्तार अभियुक्त बलराम पुत्र स्व0 भगवत किशोर व शशि पुत्र भूप सिंह उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर स्नैचिंग से सम्बन्धित 05 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त रवि सोनी पुत्र अजय सोनी(सुनार) उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर स्नैचिंग से सम्बन्धित सामान खरीदने के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत है।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम**

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

**थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 17.11.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी गई और बताया कि पीयूष डंडोना नाम के व्यक्ति द्वारा शादी का झांसा देकर मेरे साथ दुष्कर्म किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में आज दिनांक 19.10.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वाँछित 01 अभियुक्त को पीयूष डंडोना पुत्र राजीव डंडोना निवासी सी-236 मेफील्ड गार्डन सेक्टर 50 गुरू ग्राम थाना सेक्टर 50 हरियाणा उम्र 30 वर्ष को सेक्टर-50 गुरूग्राम से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त पीयूष डंडोना पुत्र राजीव डंडोना उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण**

गिरफ्तार अभियुक्त पीयूष डंडोना पुत्र राजीव डंडोना उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैनें jevensathi.com पर प्रोफाइल बनाकर वादिया को शादी का झाँसा देकर दिनांक 08.05.2024 को उसके घर पर जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। उसके बाद मैं उससे पिछा छुडाने लगा परन्तु वह नहीं मानी और मेरे खिलाफ अभियोग पंजीकृत करा दिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता**

पीयूष डंडोना पुत्र राजीव डंडोना निवासी सी-236 मेफील्ड गार्डन सेक्टर 50 गुरू ग्राम थाना सेक्टर 50 हरियाणा उम्र करीब 30 वर्ष।

**<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>**

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

## थाना वेवसिटी पुलिस द्वारा डबल मर्डर की घटना कारित करने वाला हत्यारा गिरफ्तार

दिनांक 18.11.2024 को थाना वेवसिटी पर श्री मौहम्मद बुरहान पुत्र श्री मौहम्मद जलाल अहमद निवासी ग्राम कस्बा पोस्ट हुसैना थाना बलिया लखमिनिया जनपद बेगुसराय (बिहार) हालपता राममिलन गिरि का मकान नियर सरकारी ट्यूबैल ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना वेवसिटी जनपद गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर वादी के भाई अभियुक्त जीशान आलम पुत्र मौहम्मद जलाल अहमद निवासी ग्राम कस्बा पोस्ट हुसैना थाना बलिया लखमिनिया जनपद बेगुसराय (बिहार) द्वारा वादी की पत्नी स्व0 श्रीमति शाहीन परवीन एवं वादी की नवजात पुत्री कु0 आफिया परवीन उम्र 3 माह को जान से मारकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना वेवसिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थानास्तर से घटना के सफल अनावरण हेतु 04 टीम गठित की गयी। मैनुअल इनपुट एवं सीसीटीवी फुटेज की मदद से हत्या करने वाला अभियुक्त जीशान आलम पुत्र मौहम्मद जलाल अहमद निवासी ग्राम कस्बा पोस्ट हुसैना थाना बलिया लखमिनिया जनपद बेगुसराय (बिहार) को आज दिनांक 19.11.2024 को अर्बन होम्स सोसायटी से करीब 150 मीटर आगे जंगल, आदित्य वर्ल्ड सिटी लालकुंआ से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

अभियुक्त मौहम्मद जीशान आलम उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं ग्राम कस्बा पोस्ट हुसैना थाना बलिया लखमिनिया जनपद बेगुसराय (बिहार) का रहने वाला हूँ। मेरे 06 भाई व 02 बहन है, मेरा एक भाई मौहम्मद बुरहान अपनी बीबी शाहीन परवीन व 04 बच्चों के साथ ग्राम शाहपुर बम्हैटा, सरकारी ट्यूबवेल के पास, थाना वेवसिटी, जनपद गा0बाद में किराये पर रहकर आरटीओ ऑफिस के पास एक फैक्ट्री में बाईडिंग का काम करता है। मेरी भाभी शाहीन परवीन के खालू के लडके अफरोज जो मेरे ही गांव का है, से करीब एक- दो महीने पहले गांव (बिहार) में मकान का छज्जा डालने को लेकर कहासुनी हो गई थी, और अफरोज ने सबके सामने मेरी शर्ट का कॉलर पकड कर मुझे गालियाँ दी थी। जिससे मुझे काफी आत्मग्लानि हुई थी। तब से मै अफरोज से रंजिश रखने लगा था। मेरा काम में मन नहीं लग रहा था मै काफी परेशान था तब मेरे ही गांव के संजार से मेरी मुलाकात अफरोज ने करायी थी और कहा था कि वह मुझे दुबई भिवजा देगा, और मैने संजार को 1 लाख 30 हजार रुपये इंतजाम करके दिये थे फिर उसने मेरा पासपोर्ट बनवा दिया था, और कहा था कि नोएडा में एक ऑफिस है वहां से वीजा मिलेगा और इसी महीने नवम्बर की 09 तारीख 2024 में मुझे दुबई भिजवा देगा। लेकिन 9 तारीखी की फ्लाइट निरस्त करा दी थी और पैसे देने के लिए कहा था। इसलिए मुझे पैसों की आवश्यकता थी, तो मैने अपने भाई बुरहान से पैसे मांगे थे जब मै अपने घर से अपने भाई मौहम्मद बुरहान के किराये के मकान गाजियाबाद पर दिनांक 07.11.2024 के आया था, मेरे भाई ने मुझे दुबई जाने के लिए पैसे देने की बात कहीं इसलिए मै भाई के कमरें पर ही रूक गया था और मेरी भाभी शाहीन परवीन ने मेरे भाई मौहम्मद बुरहान को मुझे रूपये देने से मना कर दिया था, जिस कारण दुबई जाने के लिए मेरा वीजा भी तैयार नहीं हो पाया था साहब मै काफी परेशान हो गया था और तनाव महसूस करने लगा था, चूकिः अफरोज पुत्र जाकिर मेरी भाभी शाहीन परवीन के सगे खालू का लडका है और मुझे अफरोज को सबक सिखाना था, उसने संजार से मिलवाकर दुबई भिजवाने के नाम पर मेरी जिन्दगी खराब कर दी थी। इसलिए मैने दिनांक 18.11.2024 को जब मेरा भाई मौहम्मद बुरहान अपने काम पर चला गया था और मेरे भाई के दो बच्चे मौ0 अयान व अनम परवीन स्कूल चले गये थे और घर पर मेरी भाभी शाहीन परवीन व उसके दो छोटे बच्चे अनाबिया परवीन व आफिया परवीन घर मौजूद थे तब मैने मौका पाकर

समय करीब 10.15 बजे के आस-पास अपनी भाभी शाहीन परवीन के गले में उसकी चुन्नी लपेटकर गला दबाकर जान से मार दिया था तथा अनाबिया परवीन रोने लगी तब मैने उसका हाथ पकड़ा तो वह हाथ छुडाकर बाहर भाग गई तभी उसकी छोटी बेटी आफिया जो चारपाई पर लेटी थी वह भी रोने लगी तभी मैने अपने हाथ से उसका गला दबाकर मार दिया था। फिर मै अपने कपडे बैग में भरकर यहां से भाग गया था। फिर मैने नोएडा से एक लडकी का फोन छीन कर वहां से भाग गया था और उसी फोन से अपने भाई को फोन करके बार-बार धमकी दे रहा था कि तुझे भी नहीं छोडूगा, साहब दुबई जाने के लिए मेरे भाई ने अपनी बीबी शाहीन परवीन के कहने पर मुझे रूपये नहीं दिये थे जिस कारण मै अपने भाई को सबक सिखाने के लिए आज इसके किराये के कमरें पर आया था तब मुझे पता चला कि भाभी शाहीन परवीन व आफिया के शव का पोस्टमार्टम कराकर अपने बच्चों के साथ दोनो का गांव दफीना करने के लिए चला गया है तब मै भाई के किराये के कमरें निकल कर चोरी छिपे यहां से भागने के फिराक में था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-</u>
जीशान आलम पुत्र मौ0 जलाल अहमद निवासी ग्राम कस्बा पोस्ट हुसैना थाना बलिया लखमिनिया जनपद बेगुसराय (बिहार) उम्र 24 वर्ष

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>
जनपद गौतमबुद्धनगर से छीना हुआ एक मोबाइल

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>
थाना वेवसिटी पुलिस टीम

**थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से पीली धातु के 02 कडे, 03 पेंडल, 02 कान के टॉप्स, 01 काला मोती जडित पेंडल, 01 छल्ला(रिंग), 02 सफेद मोती में जडित कान के टॉप्स, 02 कान के टॉप्स छल्लेनुमा, सफेद धातु के 12 सिक्के, 11 जोडी बिछुये, 01 बडा प्लास, 01 छोटा प्लास, 01 तार काटने वाला कटर, 01 आरी का पत्ता, 01 हथौडी, 01 पेचकस, 01 रिंग स्पैनर, 04 डीयो स्पेनोक्यू( ताला तोड़ने से सम्बन्धित ) आदि बरामद।**

आज दिनांक 19.11.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 01 शातिर अभियुक्त मौ0 आदिल पुत्र मौ0 अहद उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 2 सिंघौल बेगुसराई बिहार, हाल पता सार्वजनिक शौचालय किरवानी का मकान महाराजपुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद को सेक्टर 2/5 की पुलिया के पास वैशाली थाना कौशाम्बी से पीली धातु के 02 कडे, 03 पेंडल, 02 कान के टॉप्स, 01 काला मोती जडित पेंडल, 01 छल्ला(रिंग), 02 सफेद मोती में जडित कान के टॉप्स, 02 कान के टॉप्स (छल्लेनुमा ), सफेद धातु के 12 सिक्के, 11 जोडी बिछुये, 01 बडा प्लास, 01 छोटा प्लास, 01 तार काटने वाला कटर, 01 आरी का पत्ता, 01 हथौडी, 01 पेचकस, 01 रिंग स्पैनर, 04 डीयो स्पेनोक्यू( ताला तोड़ने से सम्बन्धित ) आदि सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 आदिल पुत्र मौ0 अहद उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>पुछताछ का विवरण</u>**

गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 आदिल पुत्र मौ0 अहद उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं गाजियाबाद व दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर घरों का ताला तोड़कर पैसे व ज्वैलरी तथा अन्य कीमती सामान चोरी कर लेता हुँ। मुझसे जो सामान बरामद हुआ है वह मैने कुछ दिन पहले ही सै0- 3 वैशाली के एक घर से चोरी किया था और मैं इसे बेचने जा रहा था। मैं चोरी किये हुये सामान को ऐसे ही राह चलते लोगों को अपनी परेशानी बताकर सस्ते दामों पर बेच देता हुँ। मैंने वैशाली में पहले भी कई बार घरों में चोरी की है। जिसका सामान मैने ऐसे ही राह चलते लोगों को बेच दिया था।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता**

मौ0 आदिल पुत्र मौ0 अहद उम्र 19 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 2 सिंघौल बेगुसराई बिहार, हाल पता सार्वजनिक शौचालय किरवानी का मकान महाराजपुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण**

पीली धातु के 02 कडे, 03 पेंडल, 02 कान के टॉप्स,  01 काला मोती जडित पेंडल, 01 छल्ला(रिंग), 02 सफेद मोती में जडित कान के टॉप्स, 02 कान के टॉप्स छल्लेनुमा, सफेद धातु के 12 सिक्के, 11 जोडी बिछुये, 01बडा प्लास, 01 छोटा प्लास, 01 तार काटने वाला कटर, 01 आरी का पत्ता, 01 हथौडी, 01 पेचकस, 01 रिंग स्पैनर, 04 डीयो स्पेनोक्यू( ताला तोड़ने से सम्बन्धित ) आदि बरामद।

**गिरफ्तार आभियुक्त का आपराधिक इतिहास**

गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 आदिल पुत्र मौ0 अहद उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी के सम्बन्ध में 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अभियोग की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।